कृषि और किसान : वर्तमान परिदृश्य

डॉ0 श्रीप्रकाश सिंह*

भारत में कृषि सम्पूर्ण देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक निर्णायक तत्व है। कृषि देश में उपलब्ध 54.6 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है क्योंकि आधी से अधिक जनसंख्या इसमें नियोजित होने से यह जीविका निर्वाह का प्रमुख साधन है। लेकिन इसके बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा निरन्तर घटता रहा है। वर्ष 1950–51 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 51.9 प्रतिशत थी, 1982–83 में 39.4 प्रतिशत और वहीं 2006–07 में घटकर 18.5 प्रतिशत तथा 2017–18 में और घटकर 14 प्रतिशत से भी कम हो गया है। जी0डी0पी0 में घटती हिस्सेदारी के बावजूद आज भी यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि इससे देश की 130 करोड़ आबादी को खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है और कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। देश की आजादी के बाद कृषि की दशा सुधारने के लिए 1949 में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम, 1966–67 में देश में पहली हरित क्रान्ति आयी जिससे अप्रत्याशित रूप से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और कृषि में सुधार तथा कृषकों की दशा में कुछ सुधार आया। परन्तु पूरी तरह कृषि कार्य में संलग्न कृषकों एवं कृषि मजदूरों की दशा अभी भी सोचनीय बनी हुई है। कृषकों की निम्न आय, उनका निम्न जीवन स्तर, कृषकों द्वारा कृषि में हुये नुकसान, किसान आत्म हत्या आदि तथ्य नियोजकों शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। निःसन्देह आज कृषि के समक्ष बहुत चुनौतियाँ विद्यमान है। कृषकों का निम्न जोताकार, भूमि का असमान वितरण, मानसून के अनिश्चित मिजाज के अलावा कृषि में बढ़ती लागत, विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों द्वारा अपनायी जा रही भेदभाव पूर्ण नीति, जलवायु–परिवर्तन आदि तथ्यों के कारण कृषि और कृषक गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है। कृषक एवं कृषि मजदूर कृषि सम्बन्धी गतिविधियों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन आदि प्रश्न निर्माताओं और नियोजकों के लिए चुनौती बने हुये हैं। जब से देश में बाजारीकरण बढ़ा है किसानों की दशा सुधरने के बजाय बदतर हुयी है। पहले किसान बैलों के द्वारा कृषि कार्य करते थे पर बाजारीकरण के कारण अब उन्हें अधिक पैदावार की जरूरत पड़ती है। इसलिए वे महंगे बीज खरीदकर बुआई करते हैं, डीजल एवं पेट्रोल संचालित कृषि यंत्रों (ट्रैक्टर, थ्रेसर, कम्वाइन, पम्पिंग सेट) का प्रयोग करते हैं।

***एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, इलाहाबाद डिग्री कालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद**

महंगे कृषि निवेशों का प्रयोग करने से उत्पादन लागत बढ़ती है पर जब अपनी फसल को बाजार में बेंचने जाते हैं तो लाभकारी समर्थन मूल्य सरकारी खरीदी व्यवस्था की देरी, ढिलाई आदि के कारण मंडी के आढ़तियों, साहूकारों, कारोवारियों के जाल में फस जाते हैं जो इनके श्रम की कमाई की मलाई उतार लेते हैं। बैंकों से कृषि कार्यों हेतु कर्ज मिलता है तो वह प्रायः भ्रष्टाचार के रास्ते से गुजरता हुआ मिलता है जिससे स्वीकृति ऋण की तुलना में प्राप्त राशि काफी कम होती है। किसान और कृषि क्षेत्र को अक्सर उत्पादन से संबंधित बदलावों और मूल्य की अस्थिरता जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली मौसम की असमान्य स्थितियों के कारण असमान्य स्थितियाँ बढ़ रही है और इनके कारण लाखों कृषकों की दशा सुधारने के बजाय बदहाल होती जा रही है।[1] चूंकि कृषक कृषि उत्पादों के स्वयं भी उपभोक्ता है इसलिए वे अक्सर घाटा उठाकर भी कृषि करते हैं। मिलता उन्हें उतना ही है जितना यदि जोड़े तो उनकी उत्पादन में अपनी मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। किसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और तो और कृषि में हो रही हानि और आय का अन्य स्रोत न होने के कारण देश के किसान 1990 के बाद से आत्म हत्याएं कर रहे हें। 1990 में प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार द हिन्दू ने महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं की सूचना प्रकाशित किया। प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ अधिकांश आत्म हत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास उत्पादक किसानों ने की है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्म हत्या करने वाले किसानों में बड़े जोत, मध्यम एवं छोटी जोत वाले सभी प्रकार के किसान थे। बाद के वर्षों में कृषि संकट के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में किसानों ने आत्म हत्याएं की। वन्दना शिवा के रिसर्च फाउण्डेशन के अनुसार भारत में 2007 में 16196 किसानों ने आत्म हत्याएं की। भारत में धनी और विकसित कहे जाने वाले महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक आत्म हत्याएं हुयी।[2] मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में देश भर में 10,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश में आबादी अधिक होने के बावजूद किसानों की आत्महत्या का प्रतिशत कम रहा है। परन्तु मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ भी 2014 में 145 और वर्ष 2015 में 324 कृषक आत्महत्या कर चुके हैं।

कृषि विकास की भी योजनाएं उनके आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त असरदार साबित नहीं हो सकी हैं। किसान अब भी समाज में सीढ़ी के सबसे नीचे के पायदान वाले आदमी हैं तथा सीढ़ी के ऊपर वाले सारे लोगों का बोझ भी उन्हें के ऊपर रहता है। भारत में कृषि के संतुलित विकास, कृषकों की स्थिति में सुधार के उपाय, कृषि विकास योजनाओं की जानकारी तथा ग्राम स्तर पर कृषकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर उसको उजागर करने का प्रयास इस

आलेख में किया गया। बस्ती जनपद के बेमहरी ग्राम के 50 कृषकों की आर्थिक स्थिति का प्रश्नावली द्वारा सर्वेक्षण करके वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसमें ऐसे बिन्दु भी सुझाये गये हैं जो कृषकों की स्थिति में परिवर्तन कर उनके खुशहाल बना सके।

कृषि विकास योजना—कृषि के अन्तर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन आदि सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो सीधे तौर पर भूमि से जुड़ी हुयी है। देश की आजादी के बाद कृषि की दशा सुधारने के लिए वर्ष 1949 में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम, उच्च उत्पादकता कार्यक्रम (1966 में), हरितक्रांति (1966) सीमान्त कृषकों एवं कृषि मजदूरों का कार्य (MF LALA) लघु सिंचाई विकास कार्यक्रम, कृषक सेवा केन्द्र (1983) समन्वित फसल बीमा योजना (1985) कृषि एवं ग्रामीण राहत योजना (1990) में, गहन कपास विकास कार्यक्रम (2000), राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना (1986) आरम्भ की गयी थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (2000) पशु बीमा योजना 2006—07, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 21 जनवरी 2004 से प्रारम्भ, किसान काल सेण्टर योजना 21 जनवरी 2004 से प्रारम्भ की गयी। इनके अतिरिक्त भारत सरकार 2007—08 में खाद्य सुरक्षा मिशन 19 राज्यों के 482 जिलों में लागू किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाकर नियमित स्तर पर गेहूँ, चावल और दाल की उत्पादकता बढ़ाना जिससे देश में खाद्य सुरक्षा निश्चित किया जा सके। वर्ष 2007—08 में कृषि विकास योजना भी प्रारम्भ की गयी। इसका मकसद उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी करना और किसानों की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर मुहैया कराकर किसान की आमदनी को स्थिरता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 388.62 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र और इससे जुड़ी बीमा की राशि 141399 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2017—18 में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 200 करोड़ रूपये के फंड के साथ प्रारम्भ की गयी। यह योजना आन लाइन ट्रेडिंग, प्लेटफार्म के जरिये एकीकृत बाजार तैयार करना, एकरूपता को बढ़ावा देना एवं खरीददार व विक्रेता के बीच सूचनाओं का संतुलन तैयार करना है। वित्तीय वर्ष 2017—18 में 2092 करोड़ की लागत से मृदा गुणवत्ता प्रबंधन (एस0एच0एम0) योजना को लागू किया गया। इस योजना का मकसद रासायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल के जरिये एकीकृत पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को उत्तम बनाने के लिए किसानों की जाँच संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाता था। वित्त वर्ष 2017—18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गयी। इस योजना का उद्देश्य खेतों के स्तर पर

सिंचाई में उचित निवेश सुनिश्चित करना, ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित करना, जल की बर्बादी को रोकने के लिए खेतों में जल का संतुलित इस्तेमाल पक्का करना और जल बचत की अन्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना था। वित्त वर्ष 2017—18 में परम्परागत कृषि योजना लागू की गयी जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बेहतर करने की खातिर मिट्टी और जल संरक्षण हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और सबद्ध क्षेत्र में विकास करना है, जिससे उत्पादन उत्पादकता बढ़ाना है।

कृषि विकास योजनाओं का कृषि उत्पादन पर प्रभाव—इन योजनओं के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुयी। कुछ फसलों जैसे गेहूँ का उत्पादन देश में 1964—65 में 123 लाख टन था जो 2008—2009 में बढ़कर 806.8 लाख टन हो गया। यह मुख्यतः गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ। गेहूँ के फसल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुयी। देश में गेहूँ का प्रति हैक्टेयर उपज 1964—65 में 916 किग्रा थी, वह 2009—10 में बढ़कर 2903 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गयी। सर्वेक्षित ग्राम में भी उपर्युक्त अवधि में गेहूँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुयी। इसी प्रकार चावल का उत्पादन देश में जो 1965—66 में 306 लाख टन से बढ़कर 2008—2009 में 992 लाख टन तक पहुँच गया। इस अवधि में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज जो 1965—66 में 862 किग्रा थी 2008—09 में बढ़कर 2178 किग्रा0 हो गयी।[3] दालों के उत्पादन में भी कुछ सुधार हुआ परन्तु इसके क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में धान, गेहूँ की तुलना में कम वृद्धि हुयी। जहाँ वर्ष 1950—51 में दालों का उत्पादन 84.11 लाख मी0 टन होता था वह 2011—12 में बढ़कर 172.10 लाख मी0 टन हो गया। जबकि व्यापारिक फसल गन्ने के क्षेत्रफल और प्रति हेक्टेयर उत्पादन दोनों में तीव्र वृद्धि हुयी। वर्ष 1950—51 में भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 570.50 लाख मीट्रिक टन था जो 2011—12 बढ़कर 3576.70 लाख मीटरी ट्रन हो गया। भारत में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुयी। सर्वेक्षित ग्राम बेमहरी में दालों, के अन्तर्गत क्षेत्रफल में तो कमी आयी है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में मामूली वृद्धि हुयी है। बड़े कृषक तो अपने सम्पूर्ण कृषित भूमि के आधे से अधिक भाग पर गन्ने की ही कृषि करते हैं। सर्वेक्षित ग्राम में सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र में तो कमी आयी है परन्तु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुयी है। दुख की बात यह है कि इस ग्राम में पशुओं की संख्या गाय—भैंस और बैल में सबसे ज्यादा कमी आयी है। जहाँ वर्ष 1980 में प्रत्येक लघु और सीमान्त तथा बड़े कृषक के पास अनिवार्य रूप से गाय, बैल एवं भैस हुआ करते थे अब सम्पूर्ण ग्राम में 10 प्रतिशत परिवारों कें पास केवल गाय या भैंस का पालन

दुग्धोत्पादन हेतु किया जाता है। सकारात्मक बात यह है कि सम्पूर्ण ग्राम में दुग्ध ोत्पादन का कार्य निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा अधिकांशतः किया जाता है। इस ग्राम में मुर्गीपालन एवं मतस्य पालन का विकास हुआ है। जहाँ वर्ष 1980 में एक भी सामान्य जाति का परिवार मुर्गी पालन का कार्य नहीं करता था वहीं 2019 में 10 से अधिक परिवारों द्वारा 12 मुर्गी फार्मों पर मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है तथा 5 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन का भी कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षित ग्राम गन्ने की फसल का ज्यादातर कृषि आर्थिक और राजनैतिक रूप से सशक्त परिवारों द्वारा किया जाता है क्योंकि गन्ने के बेचने से लेकर उसका मूल्य मिलने में कठिनाई आदि के कारण निम्न आय वर्ग के परिवार नहीं करते हैं। कृषि की लागत (तकनीकी क्रांति) सब कार्य मशीनों द्वारा किये जाने तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किये जाने से अत्यधिक बढ़ गयी है। सर्वेक्षित ग्राम में जहाँ प्रत्येक कृषक पशुपालन कृषि एवं दुग्ध हेतु करता था अब उसके पशुओं की संख्या घटने के कारण जैविक खादों का प्रयोग नहीं के बराबर हो गया है। अब कोई कृषक सनई ढैंचा आदि की कृषि भी नहीं कर रहे हैं जिसका उत्पादन हरी खाद के बनाने के लिए किया जाता था। इस गाँव में मृदा की जैविक उर्वरता बढ़ाने हेतु लोग अपने खेतों में रात में भेड़ों को कई–कई राते रखते थे और वे वहाँ मलमूत्र विसर्जित करती थी जिससे जैविक खादें बनती थी। ऊँची भूमि में कम सिंचाई चाहने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता था और नीची भूमि में अधिक पानी चाहने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता था परन्तु अब कम सिंचाई चाहने वाली फसलों यथा जौ, मक्का, ज्वार, बाजार, चना, मटर, अरहर के क्षेत्रफल में काफी कमी आयी है जबकि गेहूँ, धान और गन्ने के क्षेत्र में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। 40 वर्ष पूर्व जहाँ इस ग्राम में एक भी परिवार द्वारा तम्बाकू की कृषि नहीं की जाती थी परन्तु अब 5 परिवारों द्वारा इसकी कृषि की जा रही है जिसमें अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है परन्तु व्यापारिक कृषि होने के कारण तम्बाकू की कृषि में तुलनात्मक रूप से अच्छी आय होती है। वर्ष 1980 में जहाँ ग्राम के ज्यादातर कृषक कृषि की बुआई, जुताई, कटाई सिंचाई आदि का कार्य कृषक स्वयं करते थे अब ये सभी कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा है। कृषि की लागत काफी बढ़ गयी है और धीरे–धीरे कृषक बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सघन कृषि के कारण उत्पादकता बढ़ी लेकिन फसलों को पोषक तत्वों न मिल पाने के कारण भूमि के पोषक तत्वों के दोहन का सिलसिला चालू हुआ। प्रमुख पोषक तत्वों के साथ ही सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी बड़े पैमाने पर देखी जाने लगी। मिट्टी और फसलों को पोषक तत्वों की कमी सताने लगी।[4]

कृषकों की स्थिति–भारत के अधिकांश कृषक आर्थिक रूप से खुशहाल नहीं है। देश में प्रति कृषक परिवार की राष्ट्रीय मासिक औसत आय 6426 रूपये हैं। पंजाब

में प्रति परिवार सर्वाधिक मासिक औसत आय 18059 रूपये जबकि हरियाणा में प्रति कृषक परिवार की मासिक औसत आय 14434 रूपये जबकि उत्तराखण्ड में यह 4721 रूपये प्रतिमाह और उत्तर प्रदेश में 4976 रूपये प्रतिमाह पायी गयी है। यह औसत बड़े कृषकों, लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों का सम्मिलित है। सर्वेक्षित गाँव में कुछ कृषक परिवारों (10) की मासिक आय 1000 रूपये से भी कम है। 15 परिवारों की मासिक आय 1000 से 1500 रूपये प्रतिमाह और 10 परिवारों की 3000 से 4000 प्रतिमाह तथा 15 परिवारों की 4000 से अधिक प्रतिमाह है। आर्थिक रूप से कृषकों की आर्थिक हैसियत सरकारी दतरों कें चपरासी से कम ही है। कभी उत्तम कही जाने वाली कृषि की माली हालत कभी अधम कही जाने वाली चाकरी से भी नीचे चली गयी है। इसी कारण कृषकों का कृषि से मोह भंग हो रहा है। कृषकों के बच्चे श्रमिक मजदूर का कार्य करने हेतु नगरों को पलायन कर रहे हैं। जिन कृषकों के यहाँ किसी प्रकार की अन्य नौकरी या व्यवसाय नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति गाँवों में काफी कमजोर है वे गम्भीर बीमारी हो जाने पर अपना ना तो सही चिकित्सा करा पा रहे हैं न तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। सर्वेक्षित ग्राम में यदि कृषकों को कोई कारगर विकल्प मिले तो 55 प्रतिशत कृषक खेती को अलविदा ही कह देंगे। जमीनी स्तर पर कृषि की निम्न उत्पादकता, फार्म इकोलाजी, तथा फार्म इकोनामिक्स आपसी संतुलन नहीं कायम हो पाने से कृषि विकास 4 प्रतिशत के निकट आ गयी है। निम्न उत्पादकता, अधिक लागत, कृषि उत्पादों के कम व अनिश्चित मूल्य मिलने से किसानों का कृषि से मोह भंग हो रहा है। आज भारतीय किसान से ज्यादा परावलंबी दूसरा कोई नहीं है। वह जमीन पानी, बीज, खाद से लेकर बिजली, कीटनाशक, रासायनिक दवाए, खाना बनाने के लिए गैस, सबके लिए दूसरों का मोहताज है। बड़े लघु एवं सीमान्त सभी कृषकों की कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय नहीं है। उनके कच्चे और बिना आवश्यक सुविधाओं वाले घर उनकी आर्थिक हैसियत का बयान करते हैं। केन्द्र सरकार वित्तीय समावेशन के मकसद से जन धन योजना पेशकर गरीबों को सस्ते में घर देने के मकसद से सभी के लिए घर योजना की शुरूआत कर, कौशल भारत अभियान आदि के जरिये गैर–मौजूद बाजारों के लिए गुंजाइश बना रही है।[5] एक औसत भारतीय किसान के पास आज भी परिवार का पोषण करने लायक पर्याप्त आय नहीं है तब वे कृषि निविष्टियाँ खरीदने तथा नयी प्राविधि ाकी अपनाने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। भारत उदय तथा भारत निर्माण जैसे आकर्षक नारों के बीच आक्रोश, निराशा अंधकार तथा हताशा भरा चित्र किसानों द्वारा आत्महत्याओं के रूप में उभरता है।[6] कृषकों एवं कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं– निवेश वितरण और सथानीय कृषि शासन प्रणाली की दुर्बलता, वैश्वीकरण के प्रमाण सहित कीमते और व्यापार नीतियाँ, बदलते मौसम का कृषि

क्षेत्र में बढ़ता खतरा, छोटी जोत में गिरावट, बढ़ते विपणन अक्षमताओं एवं बढ़ती कृषि अपशिष्ट एवं कृषि आय में बढ़ोत्तरी गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन खतरों को कम करना, समग्र प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा निश्चित करना आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं।[7]

कृषि विकास हेतु उपाय–कृषि विकास हेतु कृषि अनुसंधान में उपयुक्त, उन्नत तकनीकों के विकास प्रसार, विकेन्द्रीकृत नियोजन अपरिहार्य है। कृषि भी लाभकारी व्यवसाय या रोजगार की श्रेणी में आ जाए और किसान भुखमरी के शिकार न हों और आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने पर विवश न हों इसके लिए निम्न उपाय किये जाएं–

1. किसानों की उपज का समर्थन मूल्य निर्धारण करते समय कृषि लागतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्य निर्धारित किये जायं जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके।
2. कृषि को रोजगारपरक और लाभकारी बनाने हेतु कृषि अनुसंगी व्यवसायों, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंडे उत्पादन, फल सब्जी उत्पादन को और अधिक प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। यद्यपि पढ़े लिखे युवाओं द्वारा सर्वेक्षित ग्राम में मुर्गीपालन, मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है परन्तु उसे और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिससे निम्न आय वर्ग वाले कृषक इन कार्यों को करके अपनी आय को बढ़ा सके।
3. सिंचाई हेतु सुनिश्चित सिंचाई सुविधा विकसित किये जाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षित ग्राम में राजकीय नलकूप लगा हुआ है परन्तु वह प्रायः खराब रहता है जिसके कारण उस नलकूप के निकट गरीब कृषकों की फसलें प्रायः बर्बाद हो जाती है। तद हेतु आवश्यकता है नलकूप खराब होने पर 48 घन्टे के अन्दर उसके बनने के उपाय निश्चित किये जांय साथ ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये एवं विद्युत आपूर्ति के घंटे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
4. वर्षा जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, फसल चक्र में परिवर्तन आदि को प्रचारित, प्रसारित करने की जरूरत है। यद्यपि भारत सरकार जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के विकास हेतु जल शक्ति योजना प्रारम्भ की है।
5. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के निरन्तर बढ़ते प्रयोग से मुद्रा को नुकसान होने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
6. किसानों द्वारा किये जा रहे उत्पादन को संशोधित और प्रसंस्कृत करने की आवश्यकता है और उनके उत्पादों के लिए बाजार तलाशे जाने की आवश्यकता है।

7. कृषि से ज्यादा ध्यान अब किसानों पर दिया जाना चाहिए किसानों की वासतविक आय यदि बढ़ी तो कृषि विकास का रास्ता स्वतः तैयार हो जायेगा। कृषकों को समय से भरपूर मात्रा में कृषि उत्पादन के उपादान, साजो सामान, प्रोत्साहन तथा उनके द्वारा पैदा किये हुए कृषि जिन्सों का लाभकारी मूल्य मिले।
8. ऋण, फसल और पशुधन बीमा आदि के लिए जन प्रणाली और संस्थागत तंत्र की भूमिका हमारे कृषि में बहुत आवश्यक लचीलापन प्राप्त करने के क्रम में महत्वपूर्ण होगा।
9. बेहतर दक्षता के साथ जल का उचित उपयोग अपरिहार्य है।
10. फसल और पशुधन बीमा अनिवार्य रूप से सभी लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क अपरिहार्य किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा संचालित कृषि विकास योजनाओं को प्रत्येक कृषक तक ईमानदारी से पहुँचाने की जरूरत है। अगर कृषि विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक ईमानदारी से क्रियान्वयन हो जाये तो किसानों की दशा में आमूल चूल परिवर्तन हो जायेगा। हमें टिकाऊ कृषि एवं जैविक कृषि पर ध्यान देना होगा क्योंकि यह धरा केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। अतः हमें कृषि विकास के साथ प्राकृतिक पर्यावरण सतत् बना रहे इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ–

1. मिश्र, जे0पी0 (2016) 'कृषि और किसानों का कल्याण', योजना, वर्ष 60 अंक 6, पृष्ठ 13 से 15 एवं 20
2. राय, भूपेन्द्र (2010) 'देश के विकास से जुड़ा है किसानों का हित', कुरूक्षेत्र, जनवरी 2010, वर्ष 56, अंक 3, पृ0 26–30
3. तिवारी, आइ0सी0 (2013) भारत का भूगोल, प्रवालिका प्रकाशन इलाहाबाद, पृ0 214
4. गिल ओ0पी0 (2014) 'आवश्यकता दूसरी हरितक्रांति की', योजना, वर्ष 58, अंक–6 पृष्ठ 41–43
5. आहूजा, राजीव (2018) 'सरकार का प्रयास : विकास वने जन आंदोलन', योजना, वर्ष 62 अंक 6 पृ0 13–16
6. गौतम अलका (2017) कृषि भूगोल, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद पृ0 348
7. सिंह नरसिंह नारायण (2014) 'भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ और अवसर' योजना, वर्ष 58 अंक 6